वृन्दावन शोध संस्थान

संस्कृति विभाग उ० प्र० तथा भारत सरकार द्वारा अनुदानित

(संस्थापक : डॉ० रामदास गुप्त, १९६८)

VRINDAVAN RESEARCH INSTITUTE

Financed by Department of Culture Govt. of U.P. & Govt. of India

(Founder : Dr.R.D.Gupta, 1968)

फा0सं0 08/लाइब्रेरी/वृ0शो0सं0/2018-19/208 दिनांक : 20.06.2018

Speed Post

सेवा में,

प्रो0 रमाकान्त शर्मा (चूलेट)
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,
जोरावर सिंह गेट,
आमेर रोड़,
जयपुर-302002

महोदय,

आपके पत्रांक सं. एनएएसी/एनआईए/2017 दिनांक 4 जून,2018 द्वारा प्रेषित आयुर्वेद संबंधी पाण्डुलिपियों के शोध अध्ययन हेतु एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर कर आपको एम0ओ0यू की एक प्रति संलग्न भेजी जा रही है। वृन्दावन शोध संस्थान की पाण्डुलिपियों पर शोध अध्ययन संबंधी नियमावली की एक प्रति भी आपके उपयोगार्थ संलग्न कर भेजी जा रही है। आशा है कि आयुर्वेद ग्रन्थों पर शोध कार्य की दिशा में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।

भवदीय,

20/6/2018

(सतीश चन्द्र दीक्षित)
निदेशक

संलग्नक : एमओयू तथा नियमावली की प्रति

रमण रेती मार्ग, वृन्दावन-२८११२१ उ० प्र०, भारत, फोन ९१-०५६५-२५४०६२८,६४५०७३१ फैक्स २५४०५७६
Raman Reti Marg, Vrindavan-281121 U.P., India, Phone 91-0565-2540628,6450731 Fax 2540576
e-mail- vrindavanresearch@gmail.com*website: www.vrindavanresearchinstitute.org

॥ ग्रन्थ प्रभु के विग्रह हैं ॥

03 MAY 2018

SPECIAL ADHESIVE

100 रुपये

RUPEES ONE HUNDRED

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्‍तर्गत
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार

1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु
(धारा 3–क) –10% रुपये 10/-

2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु
(धारा 3–ख) – 10% रुपये 10/-

कुल योग 20/-

हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर तथा वृन्दावन शोध संस्थान,रमणरेती मार्ग वृन्दावन (उ. प्र.) के मध्य

समझौता ज्ञापन पत्र (Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन **(M.O.U.)** राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर तथा वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन द्वारा आपस में सम्मिलित सहयोग, पाण्डुलिपियों, उपलब्ध दुर्लभ पुस्तकों को , हस्तलिपियों आदि के विषय में वृन्दावन शोध संस्थान, रमणरेती मार्ग वृन्दावन (उ. प्र.) तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के मध्य की शर्तो, नियमों एवं प्रतिबद्धताओं को निर्धारित एवं सूचित करता है।

पृष्ठभूमिः–

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 7 फरवरी 1976 को जयपुर में संस्थापित यह राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अपना राष्ट्रीय स्वरूप एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। अनुसंधान, शिक्षण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त यह संस्थान एक पाण्डुलिपि इकाई का भी संचालन करता है जो इस संस्थान के साहित्यिक शोध Literacy Research के रूप में संस्थान के मौलिक सिद्धान्त विभाग द्वारा संचालित होती है। यह इकाई आयुर्वेदिक ग्रन्थों, संदर्भ ग्रन्थों, विविध प्राचीन टाकाओं , पाण्डुलिपियों का रख रखाव, उनका कम्प्यूटरीकरण, Digitalization, संरक्षण के साथ साथ उपलब्ध आयुर्वेद की पाण्डुलिपियो के संग्रहण व संरक्षण का कार्य भी करता हैं।

वृन्दावन शोध संस्थान डा. रामदास गुप्त द्वारा सन् 1968 में संस्थापित किया गया था जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, तथा साहित्यिक शोध के संस्थानों में अग्रणी शोध संस्थान है जो विविध शोध विधाओं के साथ साथ दुर्लभ ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों तथा हस्तलिपियों के रख रखाव, कम्प्यूटरीकरण, संरक्षण प्रकाशन आदि क्षेत्र से कार्यरत है।

17 MAY 2018

क्रम संख्या .... विक्रय पत्र दिनांक ....

मुद्रांक का मूल्य ....

क्रेता का नाम ....

पिता का नाम ....

निवास स्थान ....

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित कार्य का मूल्यांकन ....

हरजीत कौर
स्टाम्प विक्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

ली. नं. 2[illegible]/98
गुरुनानकपुरा, जयपुर (राज.)

17 MAY 2018

उद्देश्यः–

1. दुर्लभ ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों का अध्ययन, संरक्षण विधि , संरक्षण, सुरक्षितीकरण, कम्प्यूटरीकरण आदि के क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने स्थानों पर संरक्षित पाण्डुलिपियों का एक दूसरे द्वारा उपयोग करने की सुविधा देना।

2. एक दूसरे के यहां संरक्षित व संग्रहीत दुर्लभ पुस्तको, पाण्डुलिपियों ग्रन्थों, ग्रन्थों की टीकाओं आदि की छाया प्रतियां एक दूसरे को उपलब्ध कराना तथा अवलोकन–प्रतिलिपि प्रदान करना आदि की सुविधा प्रदान करना। जिन पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाना नियमानुसार संभव नही है उन्हे पठन, अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाना।

3. वृन्दावन शोध संस्थान के शोधकर्ताओं के, अधिकारियों के, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,जयपुर आने पर संस्थान के नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम राशि लेकर अतिथिगृह की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,जयपुर के शोध कर्ताओ, अधिकारियों के वृन्दावन शोध संस्थान आने पर अपने वृन्दावन स्थित शोध संस्थान के अतिथिगृह की सुविधा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम राशि लेकर उपलब्ध करवाना।

4. एक दूसरे द्वारा पाण्डूलिपि की छायाप्रति चाहने पर निर्धारित मूल्य लेकर, जिन पाण्डुलिपियों की छायाप्रति नियमानुसार दी जा सकती है उनकी Photo copy उपलब्ध करवाना।

आर्थिक सहयोगः–

यह समझौता पत्र किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग को सम्मिलित नहीं करता है। प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष का यात्रा व्यय, छाया प्रति व्यय, प्रकाशन व्यय, इत्यादि का व्यय स्वयं को उठाना होगा। अतिथिग्रह में स्थान रिक्त होने पर ही उपलब्ध करवाया जा सकेगा। एक मत होने पर संयुक्त शोध कार्य किया जा सकेगा तथा योजना के अनुरूप विविध सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों, विभागों, मंत्रालयों को शोध प्रस्ताव भिजवा कर आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

प्रभावी तिथि एवं अवधिः–

यह MOU समझौता ज्ञापन पत्र दोनों पक्षों के निदेशकों अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/अधिकारियों के द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य होगा तथा आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।

किसी भी पक्ष द्वारा कभी भी यह समझौता पत्र निरस्त किया जा सकता है यदि कोई संयुक्त शोध कार्य चल रहा होगा तो उसके पुर्ण होने के पहले निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारः–

संयुक्त शोधकार्य किए जाने की स्थिति में, शोधकार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त शोध, परिणाम पुस्तक आदि पर दोनों संस्थान सम्मिलित बौद्धिक सम्पदा अधिकार रखेंगे तथा एक दूसरे की सहमति के बिना उसका उपयोग, विक्रय,प्रकाशन आदि नहीं कर सकेंगे तथा सहमति से ही कर सकेंगे।

हस्ताक्षरः– निदेशक DIRECTOR NATIONAL INSTITUTE OF AYURVEDA राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षरः– साक्षी Prof. R. K. Sharma (Chulet) Cordinator NABH/NAAC N.I.A., Jaipur दिनांकः 1/6/2018	हस्ताक्षरः– निदेशक DIRECTOR VRINDAVAN RESEARCH INSTITUTE VRINDAVAN (U.P.) वृन्दावन शोध संस्थान, रमणरेती मार्ग वृन्दावन (उ. प्र.) अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षरः– साक्षी पुस्तकालयाध्यक्ष वृन्दावन शोध संस्थान रमणरेती, वृन्दावन–281121 दिनांकः 20/06/2018